बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–07–11 / 2020(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, दरभंगा के पत्रांक–1549 दिनांक–12.06 2020 द्वारा डॉ० राम प्रवेश चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा के विरूद्ध दिनांक–05.06.2020 को शिवदासपुर के एक ग्रामीण के मुँह से झाग निकलने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने के बावजूद एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। एम्बुलेस उपलब्ध नहीं कराने के कारण मरीज की अकाल मृत्यु हो गयी।

2. विभागीय संकल्प सं०–217(9) दिनांक–23.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

3. जॉच समिति के पत्रांक–26 दिनांक–07.06.2020 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होने हेतु विभागीय पत्रांक–35(9) दिनांक–17.01.2024 द्वारा डॉ० चौधरी से निम्नांकित बिन्दुओं पर द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयीः–

I. एम्बुलेंस के अलावे प्रवासी मजदूर को कोरोन्टीन सेन्टर में पहुँचाने के लिए 4 (चार) गाडियॉ भाडे पर उपलब्ध थी, उसमें किसी वाहन को शिवदासपुर क्यों नहीं भेजा गया।

II. एम्बुलेंस सहित 4 (चार) गाडियों का लॉग बुक जाँच समिति के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया।

III. निजी वाहन में जीवन रक्षक उपकरण की उपलब्धता नहीं होती है। गंभीर मरीज को निजी वाहन से भेजने का औचित्य नहीं होता है।

4. डॉ० चौधरी द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए अवगत कराया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा में कोरोना से संक्रमित रोगियों को 27 कोरेनटिन सेंटर तक पहुँचाने के लिए 4 (चार) वाहन को भाडे पर रखा गया था। जॉच समिति के समक्ष भाडे के वाहन से संबंधित लॉग बुक प्रस्तुत किया गया। पंचोभ पंचायत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा की दूरी 17 किलोमीटर है, जबकि पंचोभ पंचायत से DMCH दरभंगा की दूरी 6 किलोमीटर है। अतएव मरीज को DMCH दरभंगा में ले जाने का परामर्श दिया गया।

5. समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन एवं जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि पंचोभ पंचायत के मुखिया द्वार शिवदासपुर गॉव में दिनांक–05.06.2020 को एक ग्रामीण के मुँह से झाग निकलने के कारण एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। संस्थान के एक ही समय दो एम्बुलेंस को एक ही जगह भेजने का औचित्य नहीं होता है। डॉ० चौधरी को मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुँह से झाग निकलने पर ईलाज को करने में प्राथमिकता देनी चाहिए थी। जॉच समिति के समक्ष प्रयुक्त होने वाले वाहन का लॉगबुक एवं सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए डॉ० चौधरी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन निन्दन एवं नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

16/05/2025

(15)

6. अतएव डॉ० राम प्रवेश चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के अधीन निन्दन एवं नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–07–11/2020(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–07–11/2020(स्वा0) 801(9) **/पटना, दिनांकः–** 17.7.25

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–डॉ० राम प्रवेश चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमाननगर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/07/2025

सरकार के अवर सचिव।